माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Gmail ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 58-61 / 06 / एके0 / MSU / 2022–23 दिनांक: 06.05.2022

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

विषय – राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 शैक्षणिक सत्र 2021–22 से विश्वविद्यालय में लागू की जा चुकी है। शासनादेश संख्या– 142 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020 टी0सी0। दिनांक : 15 जनवरी, 2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने है। कृपया महाविद्यालय स्तर पर संलग्न शासनादेश के आलोक में विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना करते हुये निर्गत पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय के संज्ञानार्थ समन्वयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की मेल आई0डी0 cord.nep2020@msuniversity.ac.in पर प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020।
02. सहायक कुलसचिव।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध।

संख्या–142 /सत्तर–3–2021–08(35)/2020टी.सी.1

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2– **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 15 जनवरी, 2021**

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्व क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एंव उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,

15

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–142 (1)/सत्तर–3–2021–तद्‌दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

NIM G.O.

क्रमांक	प्रकोष्ठ का नाम	कार्य
1	उद्योग–अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and Skill Development Cell)	• माध्यमिक, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों की पहचान करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंर्टन्शिप के लिये MoU करना • कौशल विकास के लिये स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना • स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना • छात्रों को आनलाईन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना • संस्था के समझौता–ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना • संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता–ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना • समझौता–ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना
2	ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell)	• संस्था में उ0प्र0 ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरुप विभिन्न कार्य करना • विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत कराना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना • संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना • संस्था के समस्त कार्यालयी कार्यो को डिजिटल माध्यम से कराना • पुस्तकालय में प्री–लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना • संस्थान में ई–लर्निंग पार्क की स्थापना करवाना • अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई–सुविधा केन्द्र की स्थापना करना जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24x7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके • ई–सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यो की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके • ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना
3	शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell)	• शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना • शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना • शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं

		अर्न्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना • भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना
4	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development cell)	• उच्च गुणवत्ता के शोध हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना • शिक्षकों/विद्यार्थियों को शोध योजना बनाने में मदद करना • विभिन्न प्रकार की शोध अनुदान योजनाओं से शिक्षकों/विद्यार्थियों को अवगत कराना • शोध हेतु उद्योगों/अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अनुबन्ध करना • राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय शोध करना • शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना
5	संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ Institutional Development Plan (IDP) Cell	• संस्था के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto15 years) पर आधारित " संस्थागत विकास योजना" तैयार करना • संस्था की IIC स्थापित करना • भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप संस्था का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरुप कार्य करना • संस्था का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना • संस्थान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यॉकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरुप सतत् मूल्यांकन करना • संस्था का NIRF में प्रतिभाग कराना
6	एक्टिविटी क्लब (Activity-Club)	• संस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉ आयोजित करना तथा संस्था के छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। • संस्था के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना • सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना • संस्थान द्वारा किसी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना • पर्यावरण जागरुकता एवं संरक्षण अभियान चला कर विद्यार्थियों/स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करना • संस्था की वार्षिक ग्रीन आडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाईट पर प्रदर्शित करना • संस्था के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री–साईक्लिंग आदि) के उपाय करना • संस्था के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना • विद्यार्थी भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना

7	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Arts Cell)	• क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना • क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना • भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना • छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना
8	अंर्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ (International students Cell)	• अर्न्तराष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना • सरकार द्वारा अंर्तराष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना • अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना • वेबसाईट पर अंर्तराष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना
9	दिव्यॉग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ Cell for differently abled students and SEDGs	• वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना • वंचित समूहों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना • दिव्यॉगों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • संस्था में दिव्यॉग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना • दिव्यॉगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना • दिव्यॉगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना
10	मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling cell)	• संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना • मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना • प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेंन्टर नियुक्त करना • संस्था की मेंन्टर–मेंन्टी पॉलिसी तैयार करना • छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना • छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना • छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना